हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
तहसीलदार सिवाना से पुनः मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते इन्तजार मौका रिपोर्ट दिनांक 16/03/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना	
16/3/18 पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त है। इ.त्वा होकर पत्रावली दिनांक 27/04/18 को पेश हो।	
27/4/18 पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त है। इत्वा होकर पत्रावली दिनांक 01/06/18 को पेश हो।	
01/06/18 दोनो पक्षो के वकील उपस्थित। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त जो शामिल मिसल रहे। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/06/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना	
18/6/18 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा। जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र सिंह मीना ,आर.ए.एस.

मु.न. 57 / 2012

प्राथीगण

1. रायसदान पुत्र भारतदान जाति चारण निवासी वावनगर
2. सुमेरदान पुत्र भारतदान.जाति चारण निवासी वावनगर
3. पीरदान पुत्र नाथूदान जाति चारण निवासी वावनगर
4. देवीदान पुत्र नाथूदान जाति चारण निवासी वावनगर
5. दीपदान पुत्र खुशालदान जाति चारण निवासी वावनगर
6. हिंगलाजदान पुत्र खुशालदान जाति चारण निवासी वावनगर
7. अनवरदान पुत्र खुशालदान जाति चारण निवासी वावनगर
8. कानदान पुत्र खुशालदान जाति चारण निवासी वावनगर

   प्रार्थी संख्या 6 ता 8 नाबलिग होने से जरिये कुदरती वली माता राजुकंवर खुशालदान जाति चारण निवासी वावनगर
9. राजुकंवर खुशालदान जाति चारण निवासी वावनगर

   निवासीयान वाननगर तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. तेजाराम पुत्र भगाराम जाति पुरोहित
2. भमराराम पुत्र भगाराम जाति पुरोहित
3. जबराराम पुत्र भगाराम जाति पुरोहित
4. चन्दनाराम पुत्र भगाराम जाति पुरोहित
5. सकू बेवा भगाराम जाति पुरोहित
6. मृतक लच्छा पुत्र उका जाति पुरोहित

   6/1 भोमसिंह पुत्र लच्छाराम जाति पुरोहित
   6/2 डूंगरसिंह पुत्र लच्छाराम जाति पुरोहित
   6/3 कांतिलाल पुत्र उत्तमसिह जाति पुरोहित
   6/4 रामसिंह पुत्र उत्तमसिंह जाति पुरोहित
   6/5 श्रवणसिंह पुत्र उत्तमसिंह जाति पुरोहित
   6/6 सुकी देवी बेवा उत्तमसिंह जाति पुरोहित

   विप्रार्थी संख्या 6/3 ता 6/5 नाबलिग होने से जरिये कुदरती वली माता सुकीदेवी बेवा उत्तमसिह जाति पुरोहित
7. जैसाराम पुत्र सरदाराराम पुरोहित
8. अर्जुनराम पुत्र सरदाराम पुरोहित

   निवासीयान वावनगर तहसील सिवाना जिला बाडमेर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (2) राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 रास्ता कायम करवाने बाबत्

उपस्थित :– 1. श्री देवेन्द्र रतून प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. श्री कैलाशपुरी विप्रार्थीगण अधिवक्ता

–: आदेश :–

दिनाक :– 16/3/2016

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत सरहद मौजा वावनगर के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1690 के जुडता उत्तर दिशा में आई भूमि खसरा नम्बर 1690 में से होते हुए उतर दिशा की ओर खसरा नम्बर 1678 व 1679 की भूमि में प्रवेश होने तक जाने के लिए रास्ते हेतु संलग्न नजरी नक्शे परिशिष्ट "अ" में दर्शाये ए से बी बरंग लाल रंग में मार्क रास्ता भूमि जो चौडाई में 12 फीट हेतु सरहद मौजा वावनगर पटवार क्षेत्र ईटवाया तहसील सिवाना में स्थित राजस्व कटाण का रास्ता से जुडता उत्तर दिशा में आई भूमि खसरा नम्बर 1690 में से होते हुये उत्तर दिशा की ओर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में प्रवेश होने तक आवगमन हेतु एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता भूमि घोषित करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण को तलब किया व तहसीलदार सिवाना से मौका जाच चाही गई।

विप्रार्थीगण द्वारा जबाब मय विधिक आपत्ति प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये उपरोक्त अनवान में प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1678 व 1679 के लिये जबाव के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्टि "ब" में दर्शाया बरंग लाल रास्ता मौजूद है जो कटाण रास्ता विप्रार्थी के खेत के बदिशा पश्चिम की तरफ खसरा संख्या 1677 की पूर्वी माठ माठ 12 फीट चौडा पीढीयो पुराना सोरिया (रास्ता) मौके पर प्रार्थीगण के खेत में आवगमन हेतु खुला हुआ है जो आज रोज भी चालू हालत में है। लेकिन विप्रार्थीगण के आवगमन का संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "ब "आवगमन का रास्ता मौजूद होते हुये भी सुविधानुसार नया रास्ता कायम करवाने हेतु वर्तमान प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है। प्रार्थीगण के खेत का आवगमन का दूसरा वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 1680 में से होते हुये आगे प्रार्थीगण के खेत में जाता है उक्त रास्ता जो पादरू से नवडिया बेरा जाने वाले कटाण रास्ते से प्रार्थीगण के खेत में जाया जाता है। जो मौके पर चालू हालत में है । उक्त दोनो ही रास्ते से प्रार्थीगण आवगमन करते रहते है । ऐसी सूरत में जब प्रार्थीगण के खेत में दो–दो रास्ते मौजूद है तथा मौके पर चालू हालत में है तो सुविधानुसार नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता । प्रार्थी के खेत संख्या 1678 व 1679 के लिये उक्त दो वैकल्पिक रास्ते होते हुये भी जान बूझकर उक्त तथ्यो को छिपाकर गलत तौर से विप्रार्थी के खेत मे से नया रास्ता निकालने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

तहसीलदार सिवाना के द्वारा पत्रांक राजस्व/2013/1048 दिनांक 21.05.2013 के द्वारा मौका जांचकर फंद मौका मय मौका नक्शा प्रेषित की जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार सिवाना ने मौका फर्द के मय नजरी नक्शा दिनांक 18.05.2013 में अवगत करवाया है कि ग्राम वावनगर के खेत खसरा संख्या 1678 ,1679 कुल रकबा 116.10 बीघा भूमि में आवगमन हेतु खसरा संख्या 1690 मे से मांगे जाने वाले रास्ते बाबत् मौका मुआयना करने पर विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1690 की उत्तरी माठ पर बिन्दू संख्या ए से बी तक रास्ता मांग है जो मौके पर रास्ता बंद पाया गया और तारबंदी बन्द पाई गई मौके पर रास्ते के निशानात नहीं पाये गये उक्त आवेदित रास्ते का क्षेत्रफल 70 गट्ठा x 2 गट्ठा = 0.07 बीघा बनता है। वर्तमान मे खसरा नम्बर 1679 में जाने हेतु खसरा नम्बर 1677 में दक्षिणी माठ पर बिन्दू संख्या सी से डी तक रास्ता मौके पर चल रहा है। जिसका क्षेत्रफल 70 गट्ठा x 2 गट्ठा = 0.07 बनता है

प्रार्थीगण के द्वारा तहसीलदार सिवाना के मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1678,1679 में जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत करने पर विप्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 1690 मौजा वावनगर में से प्रार्थीगण निर्विवाद रूप से रास्ता पीढियों से अर्थात वक्त सेटलमेन्ट से चला आ रहा था व प्रार्थीगण उक्त रास्ते से आवागमन करते थे व अपने खेत में काश्त करते थे । प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर विप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को बन्द कर दिया। भू.निरीक्षक व पटवारी द्वारा रिपोर्ट में खसरा संख्या 1677 में सी से डी रास्ता बताया है वो रास्ता नही है वो पग–डन्डी है तथा रास्ता बन्द करने पर खसरा संख्या 1679 में से पग–डन्डी द्वारा आवगमन करते थे जबकि प्रार्थीगण पीढियों से खसरा संख्या 1690 मे से आगवमन करते आ रहे है वही वक्त सेटलमेन्ट से कदमी रास्ता है और प्रार्थीगण उस रास्ते का ही उपयोग व उपभोग करते आ रहे है ।

विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के खेत में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत से बदिशा पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 1677 की पूर्वी माठ–माठ 12 फीट चौडा पीढियो पुराना सोरिया (रास्ता) मौके पर प्रार्थीगण क खेत में आवगमन हेतु खुला हुआ है जो

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

मौके पर चल रहा है जिसकी तायीद भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में अंकित है तथा भू.अ.निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट मे उक्त खसरा का चालू हालत में चलने का अंकन भी किया है प्रार्थीगण के पास जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता कायम करवाने का अधिकारी नहीं है भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा चाहा गया विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1690 में कोई रास्ते का निशानात नहीं है ।

हमने दोनो पक्षो के अधिवक्तागण की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया फर्द मौका रास्ता भू.अभिलेख निरीक्षक पादरू व पटवारी पादरू के अनुसार संलग्न नक्शे में रास्ते ए से बी व सी से डी बताया गया है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर की गई आपत्ति प्रस्तुत कर स्पष्ट किया है कि रास्ता पीढियो से पुराना खसरा नम्बर 1690 में ही चल रहा है हाल ही मे रास्ते की मांग करने पर विप्रार्थी द्वारा रास्ता अवरूद्व कर व तारबंदी की है पीढियो से इसी रास्ते से आवगमन होता आया है। विप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद करने पर मात्र पगडंडी के खसरा नम्बर 1677 मे से अस्थाई आना–जाना कर रहे है मौके पर कोई रास्ता नहीं है । चूंकि प्रार्थी द्वारा विप्राथीगण के खसरा नम्बर 1690 मे से रास्ते हेतु आवेदन किया गया है जिसको प्रस्तावित रास्ता दौरान प्रार्थना पत्र के बंद करना बताया गया है भू.अ.निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1617 व 1690 एक ही माढ पर स्थित है जिसका रकबा भी बराबर है जिससे भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1690 में बताया रास्ता ए से बी बंद कर प्रार्थी के आवगमन हेतु बाधा उत्पन्न कर तारबंदी करना पाया जाता है। खसरा नम्बर 1677 के खातेदारान को पक्षकारन नहीं बनाया गया है व रास्ता दोनो खसरान में एक ही समान है। अतः प्रार्थीगण के अति सुविधाजनक अत्यातिक आवश्यकता अनुसार खेत खसरा नम्बर 1690 में प्रार्थी द्वारा बताया गया रास्ता ए से बी 70 गट्ठा रास्ते में लम्बाई व दो गट्ठा चौडाई में प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 2012 के नियम 69 (1)(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि जो कृषि भूमि जोत के केवल सुविधाजनक मे उपयोग के लिये नही है अत्यातिक आवश्यकता है, अन्य खातेदार के खेत से होकर नये मार्ग के पहुचने के साधन का अभाव सिद्व किया जाता है आवेदन अनुज्ञात करने का आदेश पारित किया जा सकता है।

उप खण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा वावनगर तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 1690 रकबा 46.01 बीघा किस्म धोरा में से संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाये ए से बी 70 गट्ठा लम्बाई व 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता घोषित किया जाता है।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित डीएलसी द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार सिवाना द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जायगी। तहसीलदार सिवाना द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित विप्रार्थीगण को रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि कुल रकबे की क्षतिपूर्ति के रूप में देय होगी जो डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नये रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि प्रार्थीगण को राज.काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 अंतः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70 (i) (ii) (अ) में अन्तर्गत उनकी क्षतिपूर्ति हेतु वास्तविक रकबे की क्षतिपूर्ति हेतु डीएलसी दर की दो गुना राशि देय होगी और अगर कोई अन्य पेड फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ता में हो तो अध्याय 12 नियम 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षतिपूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नये 70 गट्ठा लम्बाई व 2 गट्ठा चौडाई के रास्ता मे समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख मे रास्ते के रूप में दर्ज होगी।

प्रार्थीगण के इस प्रकार दर्ज 70 गट्ठा लम्बाई व 2 गट्ठा चौडाई भूमि को रास्ते के रूप में नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाई A से B तक उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त अन्य अधिकार आर्जित नहीं होगे।

रास्ते के रूप से समाविष्ट भूमि का रकबा सम्बन्धित खसरे मे से कम

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा नजरी नक्शा निर्णय का भाग होगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नजरी नक्शा अनुसार नया 70 गट्ठा लम्बाई व 2 गट्ठा चौडाई रास्ता A से B तक मौजा बावनगर के खेत खसरा नम्बर 1690 में रकबा 46.01 बीघा किस्म धोरा मे से दिए जाने के आदेश दिया जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो।

(सुरेन्द्रसिंह मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

निर्णय आज दिनांक 16/3/2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्रसिंह मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना